रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112024-258968 CG-DL-E-28112024-258968

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2024/अग्रहायण 7, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2024/ AGRAHAYANA 7, 1946

No. 677]

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024

सा.का.िन. 736(अ).—िनम्निलिखित प्रारूप नियम जिसे केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (वाई) के साथ पिठत धारा 27 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से तीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाएंगी;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 को भेजा जा सकता हैं;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विचार किया जाएगा।

7691 GI/2024 (1)

अध्याय 1: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (विनियामक सैंडबॉक्स) नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएँ

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;
 - (ख) "आवेदक" से एक अधिकृत इकाई या कंपनी, सोसाइटी या साझेदारी फर्म, जो भारत के कानूनों के अधीन विधिवत गठित **हो**, या एक भारतीय नागरिक, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक अनुसंधान और विकास संस्थान है, जो एक विनियामक सैंडबॉक्स के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, अभिप्रेत है;
 - (ग) "अनुमोदित आवेदक" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित आवेदक या नियम 4 के अधीन बनाए गए विनियामक सैंडबॉक्स के प्रचालन और प्रबंधन के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (घ) "शासी समिति" से नियम 7 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
 - (ङ) "भागीदार" से विनियामक सैंडबॉक्स का एक भागीदार जो नियम 5 के अनुसार विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, अभिप्रेत है;
 - (च) "पोर्टल" से वह पोर्टल अभिप्रेत है; जिसे इन नियमों के नियम 11 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है,
 - (छ) "विनियामक सैंडबॉक्स" से नियम 4 के अधीन बनाया गया एक लाइव परीक्षण वातावरण अभिप्रेत है; जहां नए उत्पाद, सेवाओं, प्रक्रियाओं और व्यवसाय मॉडल को उपयोगकर्ताओं के सीमित सेट पर तैनात किया जा सकता है, तथा
 - (ज) "परीक्षण उपयोगकर्ता" से उपयोगकर्ताओं का वह सीमित समूह अभिप्रेत है जो स्वैच्छिक रूप से विनियामक सैंडबॉक्स में भाग लेते है:
 - (झ) "वैधता अवधि" से नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट विनियामक सैंडबॉक्स की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त हुए किन्तु इनमें परिभाषित नहीं किए गए अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में उनके हैं।

3. कार्यक्षेत्र और प्रयोज्यता

केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट समय-अवधि के लिए परीक्षण उपयोगकर्ताओं के सीमित सेट पर एक लाइव परीक्षण वातावरण को सक्षम करने की दृष्टि से जहां नए उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं और व्यवसाय मॉडल को तैनात किया जा सकता है, दूरसंचार में नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक विनियामक सैंडबॉक्स के निर्माण और उन पर लागू निबंधनों और शर्तों को पोर्टल पर विनिर्दिष्ट कर सकती है,

4. विनियामक सैंडबॉक्स का निर्माण

- (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में एक विनियामक सैंडबॉक्स बनाया और पोर्टल पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:
 - (क) स्वत: आकलन पर इस तरह के विनियामक सैंडबॉक्स की आवश्यकता होने पर: या

- (ख) आवेदक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, या केन्द्रीय सरकार से प्रस्तावों के अनुरोध के प्रत्युत्तर में पोर्टल पर विनिर्दिष्ट स्वरूप और रीति से और सहायक दस्तावेजों के साथ केवल दस हजार रुपये के शुल्क सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर
- (2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव की जांच करने पर आवेदक से यथा अपेक्षित स्पष्टीकरण या अन्य दस्तावेज मांग सकती है।
- (3) जहां एक आवेदक ने टेस्ट बेड, प्रयोगशालाओं, या प्रयोगात्मक पृथक नेटवर्क जैसे प्रयोगशाला वातावरण के अधीन कोई परीक्षण किया है, तो इसमें उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ इस तरह के परीक्षण की रिपोर्ट और परिणाम शामिल होंगे।
- (4) उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव की कोई भी अस्वीकृति इस तरह की अस्वीकृति के कारणों के साथ होगी।

5. विनियामक सैंडबॉक्स के निबंधन और शर्तें

- (1) नियम 4 के अधीन बनाये गये किसी भी विनियामक सैंडबॉक्स में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:
 - (क) विनियामक सैंडबॉक्स का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य;
 - (ख) विनियामक सैंडबॉक्स के प्रचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक या अधिक अनुमोदित आवेदकों का नाम और विवरण;
 - (ग) ऐसे विनियामक सैंडबॉक्स में भागीदारी के लिए पात्रता मानदंड, और ऐसे भागीदारों के दायित्व;
 - (घ) दूरसंचार सेवाएं या दूरसंचार नेटवर्क या उपस्कर या प्रक्रियाएं या प्रौद्योगिकियां या व्यवसाय मॉडल जिनका परीक्षण ऐसे विनियामक सैंडबॉक्स में किया जा सकता है;
 - (ङ) विनियामक सैंडबॉक्स की अवधि के लिए अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्राधिकार या समनुदेशन या किसी अन्य प्रावधान की आवश्यकताओं से लागू छूट;
 - (च) किन्हीं संभावित जोखिमों के शमन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन;
 - (छ) परीक्षण की पद्धति से संबंधित आवश्यकताओं सहित रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं और विनियामक सैंडबॉक्स के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम;
 - (ज) विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता अवधि;
 - (झ) विनियामक सैंडबॉक्स से बहिर्गमन के लिए निकास रणनीति का विवरण; और
 - (ञ) केन्द्रीय सरकार के विचार में ऐसे विनियामक सैंडबॉक्स में भागीदारी से जुड़े या संबंधित किसी अन्य संगत मामले का विवरण।
- (2) विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता अवधि चौबीस महीने से अधिक नहीं होगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है तो, किसी अनुमोदित आवेदक से पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप में अविध को बढ़ाने के लिए ऐसी वैधता अविध की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले इस तरह के विस्तार के कारणों के साथ किए गए अनुरोध के प्राप्त होने पर या नियम 7 के अधीन शासी समिति से अविध को बढ़ाने के लिए प्राप्त सिफारिश पर वैधता अविध को एक बार में अधिकतम बारह महीने की अविध तक बढ़ा सकती है।

6. अनुमोदित आवेदकों के दायित्व

(1) प्रत्येक अनुमोदित आवेदक को संगत विनियामक सैंडबॉक्स में स्वयं या अन्य प्रतिभागियों के माध्यम से परीक्षण करने के लिए नियम 5 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक सैंडबॉक्स के निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

- (2) प्रत्येक अनुमोदित आवेदक, जैसा भी विनियामक सैंडबॉक्स के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो, नबंरिंग के संसाधनों, स्पेक्ट्रम के समनुदेशन, और मार्गाधिकार के लिए अनुमित सहित संसाधनों के आवंटन के लिए आवेदन करने या छूट मांगने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) उप-नियम (1) की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, प्रत्येक अनुमोदित आवेदक,
 - (क) निम्नलिखित के तंत्र स्थापित करेगा:
 - (i) पात्रता मानदण्डों के आधार पर भागीदारों की ऑन-बोर्डिंग;
 - (ii) प्रत्येक भागीदार द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक सैंडबॉक्स के लिए निबंधन और शर्तों का पालन:
 - (iii) परीक्षण मापदंडों, नियंत्रण सीमाओं, परीक्षण स्थलों और प्रत्येक भागीदारों द्वारा परीक्षण परिणामों के रिकॉर्ड के रखरखाव के तरीके को विनिर्दिष्ट करना: और
 - (iv) खंड (iii) के विनिर्देशों के भीतर भागीदारों द्वारा किए गए परीक्षण की निगरानी;
 - (ख) डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों और किसी भी अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों का स्वयं द्वारा और प्रत्येक भागीदार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना जब ऐसे विनियामक सैंडबॉक्स के भीतर परीक्षण के लिए परीक्षण उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड किया जाए;
 - (ग) केन्द्रीय सरकार को एक विनियामक सैंडबॉक्स में भागीदारों के बारे में पोर्टल पर इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट रूप और तरीके के साथ ही साथ ऐसे सैंडबॉक्स से निकलने की सूचना देना;
 - (घ) जहां विनियामक सैंडबॉक्स में विनियामक सैंडबॉक्स के परीक्षण के लिए परीक्षण उपयोगकर्ताओं का नामांकन शामिल है वहां:
 - (i) ऐसे परीक्षण उपयोगकर्ताओं को विनियामक सैंडबॉक्स के उद्देश्य और किए जा रहे परीक्षण के कार्यक्षेत्र के बारे में सुचित करें;
 - (ii) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में विनियामक सैंडबॉक्स के परीक्षण परिवेश का हिस्सा बनने के लिए परीक्षण उपयोगकर्ताओं की पूर्व सोच-समझकर दी गई लिखित सहमति पहले ही प्राप्त करे;
 - (iii) सुनिश्चित करें कि परीक्षण उपयोगकर्ताओं को परीक्षण वातावरण में उनकी भागीदारी के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता न हो;
 - (ङ) परीक्षण उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विनियामक सैंडबॉक्स में परीक्षण की अवधि के लिए पर्याप्त राशि की देयता या क्षतिपूर्ति बीमा सुनिश्चित करना:
 - परंतु क्षतिपूर्ति कवर की पर्याप्तता अन्य बातों के साथ-साथ, (i) एकल परीक्षण उपयोगकर्ता के लिए अधिकतम एक्सपोजर, (ii) दावों की संख्या जो एक ही घटना से उत्पन्न हो सकते हैं, (iii) अनेक दावों की संभावना, और (iii) परीक्षण अविध के दौरान अपेक्षित दावों की संख्या पर आधारित अधिकतम देयता के निर्धारण पर निर्भर होगी।
- (च) सुनिश्चित करेगा कि विनियामक सैंडबॉक्स में परीक्षण की जा रही दूरसंचार सेवाओं या प्रौद्योगिकियों या उत्पादों या प्रक्रियाएं या व्यवसाय मॉडल को परीक्षण अवधि के दौरान बाजार में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया है:
- (छ) विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता अविध के बाद कम से कम एक वर्ष अविध के लिए अथवा केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित अपेक्षाकृत लंबी अविधयों के लिए कार्य योजनाओं, कार्यप्रणालियों, परीक्षण प्रयोक्ताओं की सहमित के अभिलेख और अन्य संबंधित डेटा सिहत परीक्षण से संबंधित अभिलेखों का भंडारण सुनिश्चित करेगा;
- (ज) खंड (छ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी डेटा और अभिलेखों को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना सुनिश्चित करेगा;
- (झ) केन्द्रीय सरकार को स्वयं या किसी भागीदार द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स में किसी परीक्षण से हुए या उससे संबंधित किसी भी कार्य, भल, चक, उल्लंघन या किसी भी प्रकार की दोषसिद्धि से मक्त रखेगा: और

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि विनियामक सैंडबॉक्स जिसमें परीक्षण और उसके परिणाम शामिल हैं के संबंध में उसके और भागीदारों द्वारा गोपनीयता बनाए रखी जाए:

परंतु फिर भी केन्द्रीय सरकार अनुमोदित आवेदकों और भागीदारों सहित विनियामक सैंडबॉक्स के बारे में कोई भी संगत और सामान्य जानकारी पोर्टल पर प्रकाशित कर सकती है।

- (4) अनुमोदित आवेदक विनियामक सैंडबॉक्स को संचालित करने और प्रबंधित करने के लिए प्राप्त अनुमोदन को निम्नलिखित स्थितियों में वैधता अविध से पहले वापस कर सकते है:
 - (क) परीक्षण पूरा होने पर, शासी समिति से पूर्णता के प्रमाण पत्र सहित; या
 - (ख) यदि इसके मूल्यांकन में विनियामक सैंडबॉक्स वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है।

7. शासी समिति

- (1) केन्द्रीय सरकार नियम 4 के अधीन बनाए गए विनियामक सैंडबॉक्स के कार्य-निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक या एक से अधिक शासी समितियों का गठन करेगी और पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करेगी जिसमें सरकार, शिक्षा जगत या निजी क्षेत्र से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित सदस्य सम्मिलित होंगे।
- (2) शासी समिति, परीक्षण की प्रकृति तथा परीक्षण की जा रही दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्कों या उपस्करों या प्रक्रियाओं या प्रौद्योगिकियों या व्यावसायिक मॉडलों के आधार पर अनुमोदित आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आविधक रिपोर्टों की आवृति और रूप को विनिर्दिष्ट करेगी और केन्द्रीय सरकार इसे पोर्टल पर विनिर्दिष्ट करेगी।
- (3) परीक्षण पूरा होने के पंद्रह दिन के भीतर या विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रत्येक अनुमोदित आवेदक पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और रीति से शासी समिति को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (क) परीक्षण के परिणाम और निष्कर्ष;
 - (ख) परीक्षण प्रयोक्ताओं से प्राप्त फीडबैक जिसमें शिकायतें, चिंताएं, सुरक्षा मुद्दे शामिल हैं;
 - (ग) परीक्षण अवधि के दौरान सामने आई चुनौतियां;
 - (घ) सुरक्षा और अन्य मुद्दों से निपटने के लिए किए गए उपाय, उपभोक्ता संरक्षण और जोखिम कम करने के लिए किए गए उपाय; और
 - (ङ) शासी समिति द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का अन्य डेटा या जानकारी।
- (4) उप-नियम (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासी समिति अनुमोदित आवेदक के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें कर सकती है जिसमें निम्नलिखित के लिए सिफारिशें शामिल हो सकती हैं:
 - (क) परीक्षण जारी रखना;
 - (ख) परीक्षण के दायरे में संशोधन, जिसमें परीक्षण के पैमाने को बढ़ाना शामिल है को सक्षम करने के लिए अनुमोदन में संशोधन करना;
 - (ग) परीक्षण पूरा होने को प्रमाणित करना और अनुमोदन को समाप्त करना; और
 - (घ) उत्पाद, सेवा, प्रक्रिया या व्यवसाय मॉड्यूल, जो विनियामक सैंडबॉक्स के तहत परीक्षण का विषय था की वाणिज्यिक व्यवहार्यता।
- 8. परीक्षण की गई दूरसंचार सेवाओं या प्रौद्योगिकियों या उत्पादों के परीक्षण के पैमाने और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को बढ़ाना

केन्द्रीय सरकार, नियम 7 के उप-नियम (4) के अधीन शासी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर:

- (क) अनुमोदित आवेदक या शासी समिति से आगे और जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांग सकती है;
- (ख) नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन विनियामक सैंडबॉक्स की वैधता अविध बढ़ा सकती है;

- (ग) विनियामक सैंडबॉक्स के निबंधनों और शर्तों में किसी भी संशोधन पर विचार कर सकती; या
- (घ) प्राधिकार के लिए संगत नियमों के अधीन विनियामक सैंडबॉक्स में परीक्षण की गई दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क या उपस्कर या प्रक्रियाओं या प्रौद्योगिकियों या व्यवसाय मॉडलों के व्यवसायीकरण की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।

9. विनियामक सैंडबॉक्स को प्रचलित और प्रबंधित करने के अनुमोदन का निलंबन या निरसन।

केन्द्रीय सरकार स्वयं या शासी समिति की सिफारिश पर उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स के प्रचालन और प्रबंधन के अनुमोदन को निलंबित या निरसित कर सकती है यदि:

- (क) अनुमोदित आवेदक ने:
 - (i) केन्द्रीय सरकार को जानबूझकर गलत या झूठी जानकारी दी हो; या
 - (ii) उन विशिष्ट निबंधनों और शर्तों तथा मानदंडों का पालन करने में विफल रहा हो जिनके आधार पर परीक्षण का अनुमोदन दिया गया था या संबंधित विनियामक सैंडबॉक्स में प्रतिभागियों द्वारा इस तरह के अनुपालन को सुनिश्चित करवाने में विफल रहा हो;

परंतु यह कि उप-खंड (i) और (ii) के अधीन विनियामक सैंडबॉक्स में परीक्षण के लिए अनुमोदन के निलंबन या निरसन का कोई निर्णय तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि अनुमोदित आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(ख) केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या लोक हित में ऐसा निलंबन या निरसन अपेक्षित हो।

10. शुल्क की वापसी नहीं

इन नियमों के अधीन दिए गए अनुमोदन के किसी भी कारण से निलंबन या निरसन या इन नियमों के अधीन दिए गए अनुमोदन के निबंधनों और शर्तों में किसी भी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन, रद्द या निरसन के परिणामस्वरूप कोई क्षतिपूर्ति या शुल्क की वापसी लागू नहीं होगी।

11. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन

केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन हेतु एक पोर्टल अधिसूचित कर सकती है।

> [फा. सं. 24-11/2024-यूबीबी] देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2024

G.S.R. 736(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under section 27, read with clause (y) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi – 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

CHAPTER 1: PRELIMINARY

1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Telecommunications (Regulatory Sandbox) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);
 - (b) "applicant" means an authorised entity or company, society or partnership firm, duly constituted under the laws of India, or an Indian national, or a research and development institution recognized by the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India, that submits a proposal for creation of a regulatory sandbox;
 - (c) "approved applicant" means an applicant approved by the Central Government or a person nominated by the Central Government for the purpose of operation and management of a regulatory sandbox created under rule 4;
 - (d) "Governance Committee" means the committee constituted under rule 7;
 - (e) "participant" means a participant to a regulatory sandbox that satisfies the eligibility criteria specified pursuant to rule 5;
 - (f) "portal" means the portal which may be notified by the Central Government under rule 11 of these rules;
 - (g) "regulatory sandbox" means a live testing environment created under rule 4 where new products, services, processes and business models which may be deployed, on a limited set of users; and
 - (h) "test users" means the limited set of users who voluntarily participate in a regulatory sandbox;
 - (i) "validity period" means the duration of the regulatory sandbox as specified under sub-rule (2) of rule 5.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Scope and Applicability

The Central Government, for the purposes of encouraging and facilitating innovation and technological development in telecommunication, may specify on the portal, the creation of one or more regulatory sandboxes and the terms and conditions applicable thereto, with a view to enabling a live testing environment where new products, services, processes and business models may be deployed on a limited set of test users for a specified period of time.

4. Creation of regulatory sandbox

- (1) A regulatory sandbox may be created and specified on the portal by the Central Government:
 - (a) upon its own assessment of the need for such a regulatory sandbox; or
 - (b) upon receiving a proposal from an applicant, or a proposal received in response to a request for proposals from the Central Government, in the form and manner, and accompanied with the supporting documents specified on the portal, as well as fees of rupees ten thousand only.
- (2) The Central Government may, upon examination of a proposal received under clause (b) of sub-rule (1), seek clarifications or further documents, as may be required from the applicant.
- (3) Where an applicant has undertaken any testing, including under laboratory environments such as test beds, laboratories, or experimental isolated networks, it shall include the reports and results of such testing along with the proposal submitted pursuant to clause (b) of sub-rule (1).
- (4) Any rejection of a proposal received under clause (b) of sub-rule (1) shall be accompanied with reasons for such rejection.

5. Terms and conditions of a regulatory sandbox

(1) Any regulatory sandbox created under rule 4 shall specify:

- (a) the scope and objective of the regulatory sandbox;
- (b) the name and details of one or more approved applicants responsible for the operation and management of the regulatory sandbox;
- (c) eligibility criteria for participation in such regulatory sandbox, and obligations of such participants;
- (d) the telecommunication services or telecommunication network or equipment or processes or technologies or business models that may be tested in such regulatory sandbox;
- (e) applicable exemptions from the requirements of authorisation or assignment or any other provision under the Act or rules made thereunder, for the duration of regulatory sandbox;
- (f) risk analysis and management required to ensure mitigation of any potential risks;
- (g) reporting requirements including those relating to the methodology of testing and steps to be taken to ensure compliance with the terms and conditions of the regulatory sandbox;
- (h) validity period of the regulatory sandbox;
- (i) details of the exit strategy for exiting the regulatory sandbox; and
- (j) details of any other matter relevant, in the opinion of the Central Government, connected with or related to the participation in such regulatory sandbox.
- (2) The validity period of a regulatory sandbox shall not exceed twenty-four months:

Provided that the Central Government may, if it considers necessary, extend the validity period by a period not exceeding twelve months at a time, upon receipt of a request for extension, made in the form specified on the portal, from an approved applicant, at least thirty days prior to expiry of such validity period, with reasons for such extension, or upon a recommendation for extension from the Governance Committee received under rule 7.

6. Obligations of approved applicants

- (1) Every approved applicant shall ensure compliance with the terms and conditions of a regulatory sandbox specified by the Central Government under rule 5 for undertaking testing by itself or through other participants, in the relevant regulatory sandbox.
- (2) Every approved applicant shall be responsible for applying for or seeking exemption from allocation of resources including numbering resources, assignment of spectrum, and permission for right of way, as may be required for implementation of the regulatory sandbox.
- (3) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), every approved applicant shall,
 - (a) establish mechanisms for:
 - (i) the on-boarding of participants based on the eligibility criteria;
 - (ii) adherence by each participant to the terms and conditions for the regulatory sandbox as specified by the Central Government;
 - (iii) specifying the test parameters, control boundaries, testing sites, and manner of maintenance of records of the test results by each participant; and
 - (iv) monitoring the testing undertaken by participants within specifications of clause (iii);
 - (b) ensure compliance by itself and by every participant with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and any other applicable laws, rules, regulations, when onboarding test users for testing within such regulatory sandbox;
 - (c) provide information to the Central Government of the participants in a regulatory sandbox, as well as their exit from such sandbox, in the form and manner specified for this purpose on the portal;
 - (d) where the regulatory sandbox involves enrolment of test users for testing of the regulatory sandbox:
 - (i) inform such test users the purpose of the regulatory sandbox and the scope of testing being undertaken;
 - (ii) obtain the prior written informed consent of the test users for being part of the test environment of the regulatory sandbox in the form that may be specified on the portal;
 - (iii) ensure that test users are not required to pay any charges for their participation in the test environment;

- (e) ensure liability or indemnity insurance of an adequate amount for the duration of testing in the regulatory sandbox, to safeguard the interest of the test users:
 - Provided that the adequacy of indemnity cover shall depend on determination of the maximum liability based on, among others, (i) maximum exposure to a single test user, (ii) the number of claims that could arise from a single event, (iii) potential for multiple claims, and (iii) number of claims that might be expected during the testing period;
- ensure that the telecommunication services or technologies or products, processes or business models being tested in the regulatory sandbox are not made commercially available in the market during the testing period;
- (g) ensure storage of records relating to the testing, including work plans, methodologies, consent records of test users, and other relevant data, for a period not less than one year after validity period of the regulatory sandbox, and for such longer periods as determined by the Central Government;
- (h) ensure destruction of any data and records specified under clause (g), in a secure manner;
- (i) keep the Central Government indemnified from any acts, omissions, commissions, breaches or any kind of culpability arising out of or in relation to any testing in the regulatory sandbox by itself or by any participant; and
- (j) ensure that confidentiality is maintained by it and the participants with regard to the regulatory sandbox, including testing and results thereof:
 - Provided however that the Central Government may publish any relevant and generic information about the regulatory sandbox, including the approved applicants and participants on the portal.
- (4) An approved applicant may surrender the approval to operate and manage the regulatory sandbox prior to the validity period:
 - (a) on completion of testing, along with the certificate of completion from the Governance Committee; or
 - (b) if, in its assessment, the regulatory sandbox does not meet the desired objectives.

7. Governance Committee

- (1) The Central Government shall constitute and specify on the portal one or more Governance Committees for monitoring and evaluating the performance of a regulatory sandbox created under rule 4, comprising of members nominated by the Central Government from within the government, academia, or the private sector.
- (2) The Governance Committee shall, depending on the nature of testing, and telecommunication services or telecommunication networks or equipment or processes or technologies or business models being tested, specify the frequency and format of periodic reports to be submitted by the approved applicants, and the Central Government shall specify the same on the portal.
- (3) Within fifteen days of completion of testing, or at least thirty days prior to the expiry of the validity of the regulatory sandbox, each approved applicant shall submit to the Governance Committee a comprehensive report in the form and manner specified on the portal, which shall include:
 - (a) the results and outcomes of the testing;
 - (b) feedback from the test users, including complaints, concerns, security issues;
 - (c) challenges faced during testing period;
 - (d) measures taken to overcome security and other issues, consumer protections and risk mitigation measures deployed; and
 - (e) any other data or information as may be specified by the Governance Committee.
- (4) Upon receipt of report under sub-rule (3), the Governance Committee may make recommendations to the approved applicant as well as to the Central Government, which may include recommendations for:
 - (a) continuation of the testing;
 - (b) modifications to the approval to enable modification to the scope of testing, including scaling up of the testing;
 - (c) certifying completion of the testing and termination of the approval; and
 - (d) commercial viability of the product, service, process or business module which was the subject matter of the testing under the regulatory sandbox.

8. Scaling up of testing and commercial viability of the tested telecommunication services or technologies or products

The Central Government, upon receipt of the recommendations of the Governance Committee under sub-rule (4) of rule 7, may:

- (a) seek further information and clarification from the approved applicant or the Governance Committee;
- (b) extend the validity period of the regulatory sandbox under sub-rule (2) of rule 5;
- (c) consider any modification to the terms and conditions of the regulatory sandbox; or
- (d) consider to permit the commercialisation of the telecommunication services or telecommunication networks or equipment or processes or technologies or business models tested in the regulatory sandbox under the relevant rules for authorisation.

9. Suspension or revocation of approval to operate and manage regulatory sandbox.

The Central Government may, on its own or upon the recommendation of the Governance Committee, by order recording the reasons therefor, suspend or revoke the approval to operate and manage a regulatory sandbox:

- (a) where an approved applicant has:
 - (i) wilfully furnished incorrect or false information to the Central Government; or
 - (ii) failed to comply with specific terms and conditions and criteria based on which approval for testing was granted, or failed to ensure such compliance by participants in a relevant regulatory sandbox;

Provided that, no decision for suspension or revocation of approval for testing in regulatory sandbox under sub-clauses (i) and (ii) shall be made unless the approved applicant has been given a reasonable opportunity of making being heard.

(b) in the opinion of the Central Government, such suspension or revocation is necessary in the interest of national security or public interest.

10. No refund of fees

No compensation or refund of fees shall be applicable as a result of any suspension or revocation of the approval granted under these rules, for any reason whatsoever, or for any modification, variation, cancellation or revocation of terms and conditions of any approval granted under these rules.

11. Digital implementation of these rules

The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify a portal for the digital implementation of these rules.

[F.No.24-11/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.